

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-04/2026/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-280 दिनांक-27.01.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती सोनी गुप्ता (जे0 11119), कनीय अभियंता (असै0) सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ के प्रथम संतान के जन्म हेतु दिनांक- 01.01.2026 से दिनांक-29.06.2026 तक (कुल 180 दिन) को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधानों के तहत मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक-280 दिनांक-27.01.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भभुआ/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ /श्रीमती सोनी गुप्ता, कनीय अभियंता (असै0) सिंचाई प्रमण्डल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

3051

पटना/दिनांक - 4/6/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. L. S. 03/06/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।